## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 संख्या– /2016/181(120)/XXVII(8)/08 टी0सी0 देहरादूनः: दिनांक 22-दिसम्बर, 2016

## अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:—

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—I व अनुसूची—II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

## संशोधन

(क) अनुसूची—I के क्रमांक 7 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात—

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
7	(एक) अनब्रांडेड शहद	करमुक्त
	(दो) सागौन (टीक), देवदार, साल शीशम, कैल अथवा सैन के अन्यथा सभी	
	प्रकार / प्रजाती की इमारती लकड़ी अथवा काष्ट से बना मधुमक्खी का कृत्रिम	
	घर।	

(ख) अनुसूची—II (ख) के क्रमांक 145 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात:—

कम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
146	ब्रांडेड शहद	5 प्रतिशत

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

901 B

सं0 <sup>969</sup>/2016/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अथुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन0आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.969/2016/181(120)/ XXVII(8)/08 T.C, Dated 22 December, 2016 for general information.

# Government of Uttarakhand Finance Section-8

No.969/2016/181(120)/XXVII(8)/08 (T.C)

Dehradun :: Dated: : 22 December, 2016

### **Notification**

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendments in Schedule-I and Schedule-II(B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

#### Amendment

1. In Schedule- I, of the existing entry at serial no. 7, the following entry shall be substituted, namely-

Sr	Description of goods	Rate of tax
No		,
7	(i)Unbranded Honey	Exempt
	(ii) Beehive made of timber or wood of kinds/species	
	other than Teak, Devdar, Saal, Sheesham, Kail or Sain.	

2. After the existing entry at serial no-145 of Schedule II (B), the following entry shall be added, namely-

Sr	Description of goods	Rate of tax	
No		4	
146	Branded Honey	5 Percent	
	•		

V

(Amit Singh Negi)
Secretary.